यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

वाद संख्या: 52/2022 दायर दिनाँक 11.02.2022

वादी		प्रतिवादीगण
1. किशनसिंह पुत्र ईश्वरसिंह 2. अखेलसिंह पुत्र चन्द्रसिंह समस्त जाति राजपुत निवासीगण चांदबासनी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार, डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:–

1. केशव ओझा वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 29.07.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा चांदबासनी पटवार हल्का चांद बासनी भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र डीडवाना तहसील डीडवाना में राजस्व भूमि पुराने खसरा सं0 188 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा अवस्थित रही है। जिसके आगे चलकर दो खसरे क्रमशः 212 रकबा 1 बीघा, खसरा सं0 213 रकबा 10 बीघा 08 बिस्वा बने।

यह है कि उपरोक्त वर्णित खसरा सं0 212 रकबा 1 बीघा के नये वर्तमान खसरा सं0 290 रकबा 0.1600 हैक्टे0 व खसरा सं0 213 रकबा 10 बीघा 08 बिस्वा के वर्तमान नये खसरा सं0 292 रकबा 0.0800 हैक्टे0, खसरा सं0 293 रकबा 0.1600 हैक्टे0, खसरा सं0 294 रकबा 0.1800 हैक्टे0, खसरा सं0 295 रकबा 1.2600 हैक्टे0 है। नकल वर्तमान खतौनी की वाद–पत्र के साथ में पेश है।

यह है कि वादीगण के पूर्वज स्व0 सावंतसिंह ग्राम चांदबासनी के जागीरदार थे, जिनकी जागीरदारी के पुराने खसरा सं0 188 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा जमीन थी। जो कि उपरोक्त वर्णित वर्तमान खसरा नम्बरान है। जो भूमि वादीगण के छूट भाई बंट मं आई हुई है। किसना पुत्र बसंता जाति भाट नाम का व्यक्ति स्वर्गीय सावंतसिंह के यहां मजदुरी का कार्य करता था। किसना ने कभी भी उक्त खेत खसरा समें काश्त नही की थी।

यह है कि राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही व भूल से कालान्तर में गलत रूप से महकमा कस्टोडियम के नाम से खातेदारी दर्ज हो गयी। जिसका उस वक्त मौका का किसी प्रकार का निरिक्षण नही करके केवल मात्र कागजी कार्यवाही करके ही उक्त भूमि को भारत सरकार महकमा कस्टोडियम दर्ज कर दिया है, जबकि सम्पूर्ण भूमि पर वादीगण के पूर्वज तत्पश्चात वादीगण का ही कब्जा काश्त रही है, वादीगण के अलावा अन्य किसी का कोई कब्जा काश्त ही नही था। उक्त भूमि पर कस्टोडियम विभाग का या अन्य किसी का कोई अधिकार एवं कब्जा काश्त नही है तथा वादीगण व उसके परिवारजन कभी भी भारत छोड़कर पाकिस्तान नही गये, पुराने रेकर्ड में महकमा कस्टोडियन गलत रूप से दर्ज हुआ था, जो राजस्व कर्मचारियों के गलत अंकन के कारण दर्ज हो गया, जिसे वादीगण शुद्धिकरण करवाकर पुरानी कदीमी समय से वादीगण की पूर्वजों तत्पश्चात वादीगण के कब्जा काश्त की चली आ रही कृषि भूमि को वादीगण अपने नाम से घोषित करवाने का अधिकारी है। लेकिन वर्तमान में राजस्व रेकॉर्ड में महकमा कस्टो[illegible] के [illegible]र काश्त के समय पटवारी हल्का व अन्य राजस्व कर्मचारियों द्वार[illegible] [illegible]कियां देते है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:00:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण को उसकी पैत्रिक कृषि भूमि से बेदखल करने की धमकियां देते है तथा उसके अधिकारों व हितो को चुनौती देने लगे हुये है तथा येन–केन प्रकारेण वादीगण की पैत्रिक कृषि भूमि से मरहुम रखना चाहते है। अभी हाल के समय में वादीगण को सदभावी जानकारी हुई है कि उक्त खैतायों में उनका नाम दर्ज नही है। जिस हेतु वाद बाबत घोषणा खातेदारी रेकर्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का लाजमी होने से पेश है।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है :–

यह है कि बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी वाकै सरहद चांदबासनी में स्थित उक्त भूमि पुराने खसरा सं0 188 तत्पश्चात नये खसरा सं0 290 रकबा 0.1600 हैक्टे, खसरा सं0 292 रकबा 0.0800 हैक्टे0, खसरा सं0 293 रकबा 0.1600 हैक्टे0, खसरा सं0 294 रकबा 0.1800 हैक्टे0, खसरा सं0 295 रकबा 1.2600 हैक्टे0 की खातेदारी वादीगण के नाम की घोषित कि जाकर तदनुसार रेकर्ड दुरूस्ती की डिक्री सादर फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, तहसीलदार डीडवाना से रिपोर्ट तलब की गई। पत्र क्रमांक/रीडर/2022/574 दिनांक 06.07.2022 के द्वारा तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, वादी ने वाद का डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद मौजा चांदबासनी के पुराने खसरा सं0 188 तत्पश्चात नये खसरा सं0 290 रकबा 0.1600 हैक्टे, खसरा सं0 292 रकबा 0.0800 हैक्टे0, खसरा सं0 293 रकबा 0.1600 हैक्टे0, खसरा सं0 294 रकबा 0.1800 हैक्टे0, खसरा सं0 295 रकबा 1.2600 हैक्टे0 की खातेदारी वादीगण के नाम घोषित की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। तहसीलदार डीडवाना रिपोर्ट निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगी।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **29.07.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:00:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

वाद संख्याः 52/2022 दायर दिनॉक 11.02.2022

वादीया		प्रतिवादीगण
1. किशनसिंह पुत्र ईश्वरसिंह 2. अखेलसिंह पुत्र चन्द्रसिंह समस्त जाति राजपुत निवासीगण चांदबासनी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार, डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनॉक 29.07.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई केशव ओझा वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद मौजा चांदबासनी के पुराने खसरा सं0 188 तत्पश्चात नये खसरा सं0 290 रकबा 0.1600 हैक्टे, खसरा सं0 292 रकबा 0.0800 हैक्टे0, खसरा सं0 293 रकबा 0.1600 हैक्टे0, खसरा सं0 294 रकबा 0.1800 हैक्टे0, खसरा सं0 295 रकबा 1.2600 हैक्टे0 की खातेदारी वादीगण के नाम घोषित की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। तहसीलदार डीडवाना रिपोर्ट निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगी।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–.....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 29.07.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्च हर दो फरीक ... के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:00:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner